सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/जिला/2018.19 जयपुर, दिनांक 11 मई, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– न्याय आपके द्वारा अभियान (01मई से 30 जून 2018) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रम में
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 16.04.2018, 30.04.2018 एवं 03.05.2018।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से न्याय आपके द्वारा अभियान (01मई से 30 जून 2018) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों व शिविर स्थल से ही शिविर के दोरान अर्जित प्रगति को नामित क्रामिक/अधिकारी द्वारा ऑनलाईन अपलोड किए जाने के उपरान्त शिविर छोड़ने हेतु निर्देशित किया गया था। पत्र के साथ दिनांक 30.04.2018 तक की प्रगति संलग्न कर निर्देशित किया गया था कि दिनांक 30.04.2018 उपरांत शिविर दिनांक तक अर्जित की गई प्रगति को शिविर के दौरान अर्जित प्रगति के रूप में अपलोड किया जावे।

राज्य स्तर पर अभियान की प्रगति की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 01 से 10 मई तक आयोजित शिविर की प्रगति में वर्ष 2018–19 में 14921 आवास स्वीकृति, द्वितीय किश्त हेतु निरीक्षण 16164, तृतीय किश्त हेतु निरीक्षण 14000 एवं पूर्ण आवासों के लेवल 7 का निरिक्षण की संख्या 16686 अपलोड की गई है। जबकि आवाससॉफ्ट पर सम्पूर्ण राज्य की प्रगति के अनुसार अभियान के दौरान वर्ष 2018–19 में 16395 आवास स्वीकृति, द्वितीय किश्त हेतु निरीक्षण 3438, तृतीय किश्त हेतु निरीक्षण 11373 एवं पूर्ण आवासों के लेवल 7 का निरिक्षण की संख्या 10255 प्रदर्शित है। इससे स्पष्ट है कि न्याय आपके द्वारा अभियान पोर्टल पर इस अवधि आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित सम्पूर्ण राज्य की प्रगति से भी अधिक प्रगति अपलोड की जा रही है। इस बाबत् प्रासांगिक पत्र द्वारा सही प्रगति अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशत किया गया था।

अतः निर्देश है कि पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवम् अन्य नामित क्रामिकों को निर्देशित करावें कि दिनांक 30.04.2018 को अर्जित प्रगति के बाद शिविर दिनांक तक की गई प्रगति को ही ऑनलाईन अपडेट किया जावे। इस बाबत जिला स्तर से भी पर्यवेक्षण कर सही प्रगति ऑनलाईन अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

Enclosed – as above

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवम् परावि, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. जिला कलेक्टर, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

C:\Users\pc 1\Desktop\New Latter.docx